न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

प्रतापराम पुत्र खुमाजी, जाति- कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1.पदमाराम पुत्र खुमाजी, जाति- कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही
2.पूजा पुत्री प्रागाराम जी, जाति- कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही
3.पिंकी पुत्री प्रागाराम जी, जाति-कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही
4.राकेश पुत्र प्रागाराम जी, जाति-कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही
5.चम्पा पत्नी खुमाजी, जाति- कुम्हार (प्रजापति), निवासी-तंवरी, तह. व जिला-सिरोही
6.पटवारी हल्का, तंवरी, तहसील व जिला- सिरोही
7.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 16/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 17 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 5 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 205, 361, 362, 772 व 783 कुल क्षेत्रफल 3.0400 हेक्टेयर आई हुई थी। उक्त कृषि भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के पूर्व रसाधिकारी खुमा पुत्र मुपा, जाति- कुम्हार के 1/2 हक हिस्से नाम से दर्ज थी एवं खुमा वल्द मुपा कुम्हार की वर्ष 1986 में मृत्यु होने के बाद उक्त कृषि भूमि खुमा पुत्र मुपा जी कुम्हार [illegible] अधिकारी तीन पुत्रों पदमाराम, पाताराम (अपीलार्थी प्रतापराम), [illegible] के नाम से

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसके बाद, खुमा जी के पुत्र प्रागाराम की मृत्यु होने से प्रागाराम के हक हिस्से की भूमि प्रागाराम के विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के नाम से दर्ज हुई। यह कि खुमाजी पुत्र मूपाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी पदमाराम, पाताराम (अपीलार्थी प्रतापराम), प्रागाराम व खुमाजी की पत्नी चम्पा के पक्ष में दायर उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 551 में हल्का पटवारी, तंवरी द्वारा अपीलार्थी प्रतापराम का नाम सहवन से प्रतापराम के स्थान पाताराम अंकित कर दिया एवं इस नामान्तरकरण संख्या 551 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 16.6.1989 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी प्रंतापराम का त्रुटिवश नाम पाताराम अंकित हो गया है, जबकि अपीलार्थी का वास्तविक सही नाम प्रतापराम है एवं सभी दस्तावेजों में भी अपीलार्थी का नाम प्रतापराम अंकित है। नामान्तरकरण में अपीलार्थी प्रतापराम का सही नाम प्रतापराम के स्थान पर त्रुटिवश पाताराम अंकित कर दिये जाने से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम पाताराम दर्ज हो गया है, इस कारण से अपीलार्थी को बहुविवाद में उलझना पड रहा है। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 के द्वारा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम प्रतापराम के स्थान पर सहवन से पाताराम अंकित होने की जानकारी अपीलार्थी प्रतापराम को होने पर अपीलार्थी ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है एवं इस विलम्ब की अवधि को कन्डाने कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। अत: अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का सही नाम प्रतापराम अंकित करते हुए पुन: नामान्तरकरण दायर करवाने एवं स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम पाताराम अंकित हो जाने से पाताराम की जगह प्रतापराम नाम अंकित करवाने हेतु इस नामान्तरकरण को निरस्त कराने व पुन: सही नाम प्रतापराम दर्ज करते हुए नये सर नामान्तरकरण दायर कवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि राजस्व रेकर्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी के पुराने खसरा संख्या 113 रकबा 9.03 बीघा, 175 रकबा 4.00 बीघा, 176 रकबा 4.05 बीघा, 659 रकबा 2.17 बीघा, 660 रकबा 3.10. बीघा, 663 रकबा 10.01 बीघा व 738 रकबा 3.12 बीघा कुल किता 7 रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से के खातेदार श्री खुमा पुत्र मुपा जी, जाति- कुम्हार, निवासी- तंवरी की मृत्यु हो जाने पर मृतक खातेदार खुमा पुत्र मुपा जी, जाति- कुम्हार, निवासी- तंवरी के उत्तराधिकारियों के नाम पर हल्का पटवारी, तंवरी द्वारा

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 551 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 16.6.1989 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम तंवरी, पटवार हल्का, तंवरी के इस स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.2.2020 को प्रस्तुत की गई है, जो 41 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अपीलार्थी ने विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाता है। अत: अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डाने किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थी ने यह अपील उक्त कृषि भूमि के खातेदार श्री खुमा पुत्र मूपा जी, जाति- कुम्हार, निवासी- तंवरी की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार खुमा पुत्र मूपा जी, जाति- कुम्हार, निवासी- तंवरी के उत्तराधिकारियों पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 में अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी प्रतापराम का नाम सहवन से पाताराम अंकित हो जाने के कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम प्रतापराम के स्थान पाताराम दर्ज हो जाने के कारण इस त्रृटि को दुरस्त करवाने के लिये इस नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 16.6.1989 को निरस्त करवाने व पुन: सही नाम अंकित करते हुए नये सर नामान्तरकरण दायर करवाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी उसका नाम पाताराम के स्थान प्रतापराम अंकित करवाना चाहता है, जो Correction of Errors की श्रेणी में आता है एवं Correction of Errors के लिये अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत संबंधित भू अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

17/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested